JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मैला सफाई कर्मी एवं क़ानून के प्रति जागरूकता: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा नगर का व्यक्तिक अध्ययन)

Ms. Devika Sharma, Prof. Lajwant Singh
Research Scholar (Ph.D)
Department of Sociology & Political Science
Faculty of Social Sciences,
Dayalbagh Educational Institute, (Deemed University) Agra.
Email id- singh.lajwant90@gmail.com Email id- devikakamalsharma@gmail.com

संदर्भ–

21वीं सदी में मैला सफाई की प्रथा समाज पर एक कलंक है। इसे पूरी तरह से रोकने की जरूरत है। इसके अलावा, मैला सफाई की का अभ्यास करने वाले लोगों को कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करके भेदभाव मुक्त, सुरक्षित और वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। कानून और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और स्थानीय प्रशासन के संवेदीकरण की भी आवश्यकता है। समुदाय में नेतृत्व को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलकों में उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से आवाज देने के लिए मजबूत किया जा सकता है।

प्रमुख शब्द– जाति व्यवस्था, साफ–सफाई, जागरूकता, सेप्टिक टैंक आदि।

प्रस्तावना

भारत में साफ–सफाई करने का पेषा भारत की जाति व्यवस्था पर आधारित है अर्थात् उसी में आंतरिक रूप से समाहित है। इससे यही प्रदर्शित होता है कि साफ–सफाई की पूरी जिम्मेदारी और चिंता सिर्फ एक ही जाति पर है, और वह है दलित जाति और उनमें भी वाल्मिकी जाति के लोगों पर। यदि हम वाल्मिकी समुदाय को जेंडर के नज़रिए से देखें तो अन्याय के अनुभव और व्यापक रूप से नज़र आते हैं। ऐसे समाज में जहां पितृसत्तात्मक व्यवस्था अभी भी हावी है, वहां महिला सफाई कर्मियों (मुख्य रूप से दलित समुदाय) को दोहरे श्रम के बोझ तले जीना और काम करना पड़ता है।

एक विशेष जाति के साथ स्थाई रूप से सफाई का काम जोड़ने के कारण पूरे के पूरे समुदाय को जीवन भर सामाजिक अलगाव का दर्द झेलना पड़ता है, और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यही समुदाय हमारे देश को पिछले 4,000 सालों से साफ करता आ रहा है। इसीलिए जाति और पेशे के बीच इस जुड़ाव का समाप्त करना जरूरी है। परन्तु देश की सड़कों को साफ करके रखना नैतिकता की सफाई करने से ज्यादा आसान है। यद्यपि सफाई का काम शहर के सफाई कर्मचारियों को सौंपा गया है लेकिन हम सब की भी यह जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा–करकट पैदा करने, उसके निपटान के संबंध में अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और साथ ही साथ जो हमारा कचरा साफ करते हैं उनके संबंध में अपनी सोच में बदलाव लाएं। स्वच्छता क्या है और हम स्वच्छता के काम के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस पर अपनी समझ के फर्क को चिन्हित करना सफाई कामगारों के फिनॉमिनालॉजिकल पक्षों को समझने के लिए बेहद जरूरी है।

भारत में मैला सफाई की (Manual scavenging):

मैला सफाई की के अंतर्गत इंसान अपने हाथों से शौचालय, सेप्टिक टैंक या सीवर से मानव मल को हटाने का काम करता है। मैला सफाई की की प्रथा भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही है।

भारत में सबसे गरीब और वंचित समुदायों

यह प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित निम्न जातियों को यह काम करने की उम्मीद है।वर्तमान में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 40,000 से अधिक मैनुअल मेहतर काम कर रहे हैं। यह 2008 में 7,70,338 से काफी कम संख्या है।सरकार हाथ से मैला ढोने से रोकने के उपाय कर रही है, लेकिन जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है।राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएस) के आंकड़ों के अनुसार, सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय 2013 से 2020 के बीच 808 हाथ से मैला ढोने वालों की मौत हुई हैं।इसके अलावा, एक ही डेटा से पता चलता है कि 29,923 लोग उत्तर प्रदेश में मैला सफाई की में लगे हुए हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है।इसके अलावा, कई वकालत समूहों ने इस डेटा की प्रामाणिकता पर चिंता जताते हुए कहा है कि वास्तविकता में इनकी संख्या बहुत अधिक होगी।इस पूरी प्रथा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी "द कॉस्ट ऑफ क्लीनशिप– डॉक्युमेंट्री ऑन डेथ ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया" मैनुअल स्कैवेंजर्स की दुर्दशा को दिल दहला देने वाले तरीकों को दिखाया गया है।इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि मैला सफाई की भले ही कानून द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में अभी भी यह प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित है।

हाथ से मैला ढोने वालों के जीवन में उत्पन्न चुनौतियाँ:

स्वास्थ्य और गरिमा की अनदेखी: हाथ से मैला ढोने वालों को अक्सर जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जो इस प्रक्रिया के दौरान उनकों अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। उन्हें समाज में अछूतों और लोगों के समूह के रूप में भी देखा जाता है।

वंशानुगत व्यवसाय: हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाज में वंशानुगत व्यवसाय के रूप में देखा जाता है और इसलिए मैनुअल स्केवेंजरों के बच्चों को भी इस प्रथा में शामिल किया जाता है।

असमानता और सामाजिक बहिष्करण: मैला सफाई की सामाजिक असमानता और बहिष्करण का कारण बनता है। हाथ से मैला ढोने वालों के परिवारों को पूजा स्थलों, पानी के सार्वजनिक स्रोतों तक पहुंचने से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से बाहर रखा गया है।

भारत में मैला सफाई की जारी रखने के कारण: अनैसर्गिक लैट्रिन की मौजूदगी: भारत में अधिकांश जगहों पर आज शौचालय खुले होने की वजह से उन्हें मानव द्वारा मैन्युअल रूप से साफ करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के अधिकांश अनैच्छिक शौचालय शुष्क शौचालय हैं जो पानी का उपयोग नहीं करते हैं।

निषेधात्मक कानूनों का खराब प्रवर्तन: हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंधात्मक कानून खराब तरीके से लागू किए गए हैं। कभी–कभी यहां तक कि नगरपालिका जैसी सरकारी एजेंसियां स्वच्छता उद्देश्यों के लिए हाथ से मैला ढोने वालों को नियुक्त करती हैं।

सामाजिक कारण: मैला सफाई की को अक्सर विशेष जाति समूहों के साथ जोड़ा जाता है और इसे भारत में वंशानुगत बनाया जाता है। यह स्थायी हाथ से मैला ढोने का कारण बनता है।

शहरीकरण: शहरीकरण की तीव्र दर ने मैला सफाई की के प्रसार में भी मदद की है।

गरीब जागरूकता: कानूनी अधिकारों और कानूनों के प्रावधानों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता की कमी ने स्थायी अमानवीय व्यवहार किया है।

सौदेबाजी की शक्तियों का अभाव: हाथ से मैला ढोने वालों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह सबसे कमजोर होते हैं और उनके पास पर्याप्त सौदेबाजी की शक्तियां नहीं होती हैं और उन्हें सबसे उपेक्षित समूह में गिना जाता हैं।

स्वच्छ भारत अभियान और मैला सफाई की पर इसके प्रभाव:

स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने 2014 से लगभग 1,000 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया।निर्मित शौचालय या तो जुड़वां गड्ढों से जुड़े हैं, सोख गड्ढों के साथ सेप्टिक टैंक, एकल गड्ढे या सीवेज लाइन से जुड़े हैं।राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 ने अनुमान लगाया कि निर्मित शौचालयों में से 13 प्रतिशत में जुड़वां गड्ढे थे, जबकि 38 प्रतिशत में सोख गड्ढों के साथ सेप्टिक टैंक थे और 20 प्रतिशत में एकल गड्ढे थे।जबकि जुड़वां गड्ढे की विविधता को मल संबंधी मामले के मानव से निपटने की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य दो किस्मों को समय की अवधि के बाद मल संबंधी मामले के मैनुअल या यांत्रिक निष्कर्षण की आवश्यकता होती है।यांत्रिक निष्कर्षण के लिए ग्रामीण स्तर पर सोख गड्ढे और एकल गड्ढे की किस्मों के साथ सेप्टिक टैंकों की प्रचुरता और ग्रामीण स्तर पर सक्शन पंपों की कम उपलब्धता को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें से अधिकांश शौचालयों को मैन्युअल रूप से साफ किया जाएगा।

मैला सफाई की को हटाने के लिए कानून

1993 से पहले भारत में मैला सफाई की की रोकथाम के लिए कोई समर्पित कानून नहीं था। 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था और यह स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक एकीकृत गार्ड बन गया क्योंकि 90% से अधिक लोगों को नियोजित किया गया था, क्योंकि मैनुअल मेहतर अनुसूचित जाति के थे।यह नामित पारंपरिक व्यवसायों से मैन्युअल मैला ढोने वालों को मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।भारत ने 1993 में हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार की शुरुआत करते हुए 2013 में कानून का विस्तार किया।संसद ने मैनुअल स्कैवेंजर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स (निषेध) अधिनियम 1993 को लागू किया था। इस अधिनियम की मैनुअल स्कैवेंजर्स के हितों के खिलाफ पक्षपाती होने के लिए कड़ी आलोचना की गई थी।2013 में संसद ने मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया जो पहले के अधिनियम को सफल बनाता था।

मुख्य प्रावधान:

अपराधों और दंड के प्रावधानों की सूची: अधिनियम व्यापक रूप से मैला सफाई की और संबंधित दंडों में अपराधों को लागू करता है।

जान बचाने पर जोर: सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई निर्धारित मानक है। जब मानव हस्तक्षेप अपरिहार्य है, तो सुरक्षा गियर अनिवार्य है।

अपराधों की प्रकृति: उक्त अधिनियम के तहत अपराधों को गैर–जमानती और संज्ञेय बनाया गया है।

निगरानी या सतर्कता के लिए समिति: अधिनियम ने अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए राष्ट्रीय सफाई आयोग (NCSK) के लिए वैधानिक स्थिति को भी मजबूत किया। NCSK एक वैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है।

समयबद्ध पुनर्वास और क्षतिपूर्ति: अधिनियम एक समय–सीमा प्रणाली के भीतर किए जाने वाले मैनुअल स्कैवेंजर सर्वेक्षण के प्रावधान भी करता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स समय–सीमा प्रणाली के साथ पूरी तरह से पुनर्वास करते हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियां: यह अधिनियम रेखांकित करता है कि जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकारी कार्यान्वयन अधिकारी होंगे।

न्यायिक हस्तक्षेप:

सेवानिवृत्त आई आर एस (सेवानिवृत्त) वी मुख्य अधिकारी प्रवीण राष्ट्रपाल, कड़ी नगर पालिका और अन्य: -अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के बाद, कोर्ट ने अधिकारियों को सीवरेज श्रमिकों के उत्थान और सुधार के लिए कई दिशा–निर्देश दिए। सफाई करमचारी अंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ:– इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि:– मैनुअल स्केवेंजर्स के रोजगार और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 और 12 के तहत अंतिम सूची में मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में उल्लिखित व्यक्तियों का पुनर्वास उक्त अधिनियम के भाग IV में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।इस अमानवीय गतिविधि को भावी पीढ़ियों में दूर करने के लिए अभ्यास को रोकने के साथ–साथ मैला सफाई की की परंपरा को भी रोकना चाहिए। न्याय और परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास आधारित होना चाहिए। राज्य सरकार को आदेश और केंद्रशासित के प्रावधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए उक्त अधिनियम का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार को आदेश और केंद्रशासित अपराधियों और अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए है।

मैला सफाई कर्मियों की समस्या की गंभीरता

- भारत में लगभग 8000 शहरी क्षेत्र और 6 लाख से अधिक गाँव हैं तथा एक बहुत बड़ी आबादी इनमें निवास करती है। ग्रामीण स्तर पर सीवर प्रणाली का इतना विकास नहीं हुआ है, अतः मैला सफाई की की समस्या मुख्यतः शहरी या अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में ही व्याप्त है। इससे संबंधित दुर्घटनाएँ अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही होती हैं जहाँ सीवर में फँसकर या गैस रिसाव आदि के कारण लोगों की जान चली जाती है।
- बड़े शहरों में 30-40% आबादी झुग्गी/बस्ती इत्यादि में रहती है जहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मानवीय अपशिष्ट या अव्यवस्थित कचरे का निस्तारण सीधे सीवर प्रणाली में कर दिया जाता है जो कि सीवर प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करता है जिसके लिये मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है।

- कुछ शहरों में रेस्तराँ और होटलों के बचे हुए कचरे, अप्रयुक्त निर्माण सामग्री और कार्यालयी कचरे का निपटान भी सीधे सीवर के नालों में कर दिया जाता है और अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में मजबूरन इस समस्या का समाधान मानवीय सहायता से किया जाता है।

- भारत के शहरी और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 7000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीवर लाइन तथा 26 लाख से भी अधिक शुष्क शौचालय हैं जिनकी सफाई के लिये हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की आवश्यकता होती है।

- सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,82,505 तथा शहरी क्षेत्रों में 12,226 हाथ से मैला ढोने वाले मौजूद हैं। लेकिन इनकी वास्तविक संख्या वर्तमान में इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है–

- मैला सफाई कर्मी एवं कानून के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
- मैला ढोने वालों के कार्य से संबन्धित कानूनी प्रावधानों से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना।

साहित्य पुनरावलोकन

- **जोशी. वारबरा आर., ''डेमोक्रसी इन सर्च ऑफ इक्वालिटी अनटचेवल पॉलिटिक्स एण्ड इंडियन सोशल (1982)''** प्रस्तुत पुस्तक में दलित समस्या के विविध पहलुओं को वि'लेषित करने का प्रयास किया गया है। भारत का दलित समुदाय सदियों से सामाजिक असमानता, अपमान एवं आर्थिक शोषण झेलता आ रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्थापित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो लोकतंत्र के सिद्धान्तों व समानता बंधुत्व पर आधारित है। इस पुस्तक का उद्दे'य संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग दलित किस सीमा तक रहा है। इस तथ्य का वि'लेषण करना है। इस पुस्तक के अध्ययन में दलितों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें अस्पृ'यता उन्मूलन हेतु महात्मा गाँधी व डॉ० भीमराव अम्बेडकर के मार्ग का भी विवेचन करता है।
- **तिवारी, आर. राजनारायण ''सीवेज और सैनिटरी श्रमिकों में व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे'' (2008)-** प्रस्तुत शोध पत्र में सीवरेज कार्यकर्ता के स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं को शामिल करता है। जो मैला ढोने वाले परिवेश की स्वच्छता में शामिल है। इन श्रमिकों को कार्य करते समय हानिकारक गैसों के सम्पर्क में आते है। जिससे इन्हें श्वसन व त्वचा सम्बन्धित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह आंशिक रूप से श्रमिकों के इस समूह के लिए एक प्रभावी व्यवसाय है। इस पत्र में लेखन ने श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा व उपकरणों के उपयोग के बारे में शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम सरकार के माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए।

- **वी.एन. श्रीवास्तव, ''भारत में मैनुअल स्कैवेंजिग'' देश के लिए एक अपमान (1997)** – प्रस्तुत पुस्तक में स्वतंत्रता के प'चात् मैला ढोने वाले समुदाय के पारस्परिक व्यवसाय के आधार पर वर्णन करता है। जो दूसरों के मल–मूत्र को साफ करने के लिए मजबूर है। यह पुस्तक भारत में मैला ढोने की उत्पत्ति, सांस्कृतिक विरासत व क्षेत्रीय वितरण का पता लगाना है जो केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा की गई पहल का मूल्यांकन करता है जिससे श्रमिक वर्गों की स्थिति मे सुधार आ सके।
- **वाल्मीकि राज ''स्वच्छ भारत मिशन मैनुअल स्कैवेंजिग के उन्मूलन प्रथा'' (2018)** – ने अपने शोध अध्ययन में मैनुअल स्कैवेंमिग के उन्मूलन के लिए संसाधनों की कमी को दर्शाया है। जो केवल सरकार व कानून की उदासीनता के कारण ये कार्य आज भी जारी है। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो सकता है। परन्तु आज भी सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है। इस शोध पत्र में लेख ने कहा है कि जिस तरह से ये अभियान शुरू किया वैसे ही रोबोट मशीनों द्वारा सीवर की सफाई से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए आगरा नगर के वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की बाहुल्य बस्तियों का अध्ययन किया गया।

शोध प्ररचना

प्रस्तुत अध्ययन में व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया गया। व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य विषय व समस्या के संबंध में यथार्थ तथ्यों का सूचनाओं के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया।

निदर्शन

प्रस्तुत शोध में आनुभविक प्रतिवेतन के अंतर्गत दैव निदर्शन, लाॅटरी विधि का प्रयोग किया गया। जिसमें मैला सफाई कर्मियों की 55 इकाइयों को चयनित किया गया।

तथ्यों का स्त्रोत

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक स्त्रोतों में साक्षात्कार अनुसुची, अवलोकन तथा द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्र व इंटरनेट का प्रयोग किया गया तथा प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक एवं परिणाम है।

तथ्यों का संकलन

सारणी संख्या –1

उत्तरदाताओं की आयु तथा वैवाहिक स्थिति

आयु	वैवाहिक स्थिति				योग
	विवाहित	अविवाहित	तलाक़शुदा	विधवा / विधुर	
18 से कम वर्ष	00	04	00	00	**04**
18-30 वर्ष	06	03	00	01	**10**
30-40 वर्ष	09	00	00	04	**13**
40 से अधिक वर्ष	21	01	00	06	**28**
योग	**36**	**08**	**00**	**11**	**55**

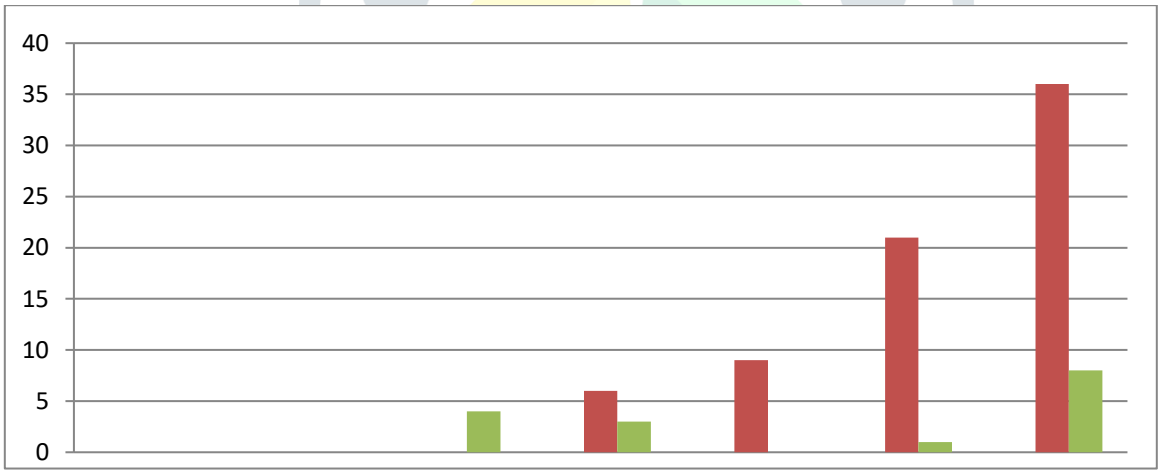

उपरोक्त सारणी-1 से स्पष्ट है कि 18 से कम वर्ष के अविवाहित उत्तरदाता 4 पाये गए तथा 18 से 30 वर्ष के 6 उत्तरदाता विवाहित, 3 उत्तरदाता अविवाहित तथा 1 विधवा / विधुर पाये गए। 30 से 40 वर्ष के 9 उत्तरदाता विवाहित तथा 4 उत्तरदाता विधवा / विधुर पाये गए तथा 40 से अधिक वर्ष के 21 उत्तरदाता विवाहित, 1 उत्तरदाता अविवाहित तथा 6 उत्तरदाता विधवा / विधुर पाये गए। तथा किसी भी आयु के उत्तरदाता तलाक़शुदा नहीं पायी गये।

सारणी संख्या –2

उत्तरदाताओं की मासिक आय एवं शिक्षा का स्तर

शिक्षा का स्तर	मासिक आय				योग
	5000 से कम	5000-10000	10000 - 15000	15000 से अधिक	
अशिक्षित	30	11	00	00	**41**
हाईस्कूल से कम	05	01	02	01	**09**
इंटरमीडिएट	05	00	00	00	**05**
स्नातक एवं अधिक	00	00	00	00	**00**
योग	**40**	**12**	**03**	**00**	**55**

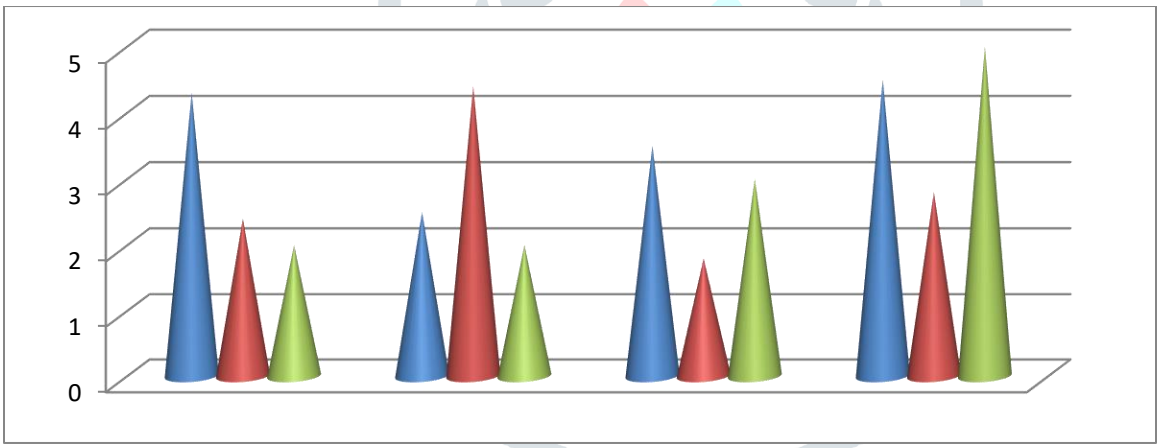

उपरोक्त सारणी–2 से स्पष्ट है कि अशिक्षित शिक्षा के 30 उत्तरदाताओं की आय 5000 से कम पायी गई। 11 उत्तरदाताओं की आय 5000 से 10000 पायी गई। हाईस्कूल से कम तक की शिक्षा के 5 उत्तरदाताओं की आय 5000 से कम पायी गई, 1 उत्तरदाता की आय 5000 से 10000 तथा 3 उत्तरदाता की आय 10000 से 15000 पायी गई। स्नातक एवं अधिक शिक्षा तथा 15000 से अधिक आय के उत्तरदाताओं की संख्या शून्य पायी गयी।

सारणी संख्या –3

उत्तरदाताओं का वर्गगत विवरण तथा सरकारी सहायता से संतुष्ट

वर्गगत विवरण	सरकारी सहायता से संतुष्ट			योग
	बहुत कम	बहुत अधिक	बिलकुल नहीं	
GN	00	00	00	00
OBC	00	00	00	00
SC	33	04	18	55
ST	00	00	00	00
योग	33	04	18	**55**

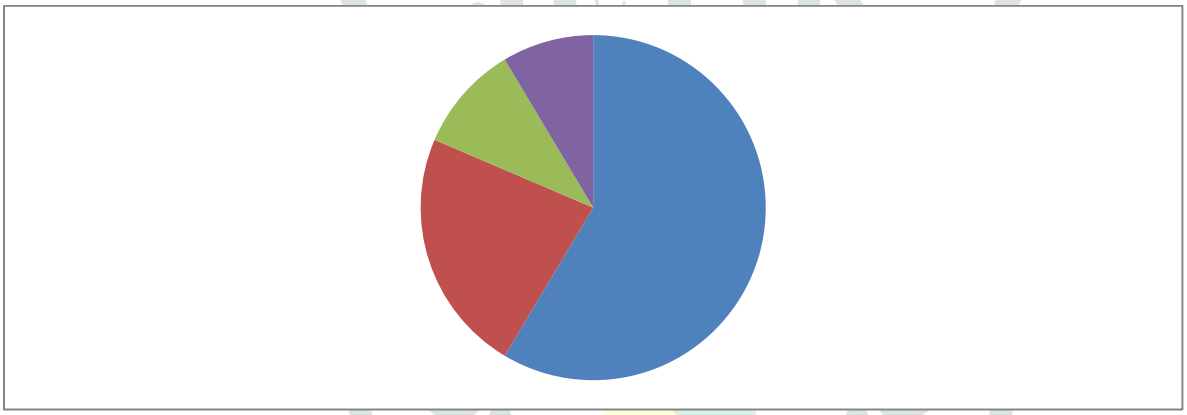

उपरोक्त सारणी–3 से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के 33 उत्तरदाता बहुत कम संतुष्ट पाये गए तथा 4 उत्तरदाता बहुत अधिक संतुष्ट पाये गए एवं 18 उत्तरदाता बिलकुल भी संतुष्ट नहीं पाये गए। GN, 0BC और SC जाति के उत्तरदाता शून्य पाये गए।

सारणी संख्या – 4

स्वरोजगार योजना (SRMS) तथा सामाजिक आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूकता

जागरूकता	संख्या	प्रतिशत (%)
हाँ	12	21.9 %
नहीं	08	14.5 %
पता नहीं	35	63.6 %
योग	**55**	**100 %**

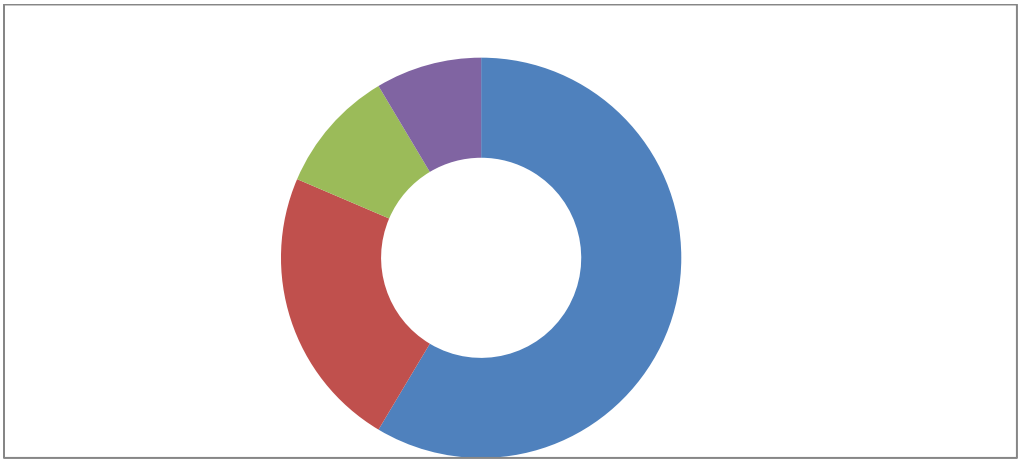

उपरोक्त सारणी-4 से स्पष्ट है कि स्वरोजगार योजना (SRMS) तथा सामाजिक आर्थिक अधिकारों के प्रति 21.9 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक पाये गए तथा 14.5 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक नहीं थे तथा 63.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कुछ भी मालूम नहीं था।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 40 से अधिक वर्ष कि आयु के 21 उत्तरदाता विवाहित 1 अविवाहित तथा 6 विधवा / विधुर है तथा तलाकशुदा उत्तरदाता किसी आयु वर्ग के नहीं पाये गए। अशिक्षित शिक्षा के 30 उत्तरदाताओं की आय 5000 से कम पायी गई, 11 उत्तरदाताओं की आय 5000 से 10000 पायी गई तथा स्नातक एवं अधिक शिक्षा तथा 15000 से अधिक आय के उत्तरदाताओं की संख्या शून्य पायी गयी। अनुसूचित जाति के 33 उत्तरदाता सकरी सहायता से बहुत कम संतुष्ट, 4 उत्तरदाता बहुत अधिक संतुष्ट, 18 उत्तरदाता बिलकुल भी संतुष्ट नहीं पाये गए तथा GN, OBC और SC जाति के उत्तरदाताओं की संख्या शून्य पायी गयी। स्वरोजगार योजना (SRMS) तथा सामाजिक आर्थिक अधिकारों के प्रति 21.9 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक, 14.5 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक नहीं तथा 63.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कुछ भी मालूम नहीं था।

सुझाव

उपरोक्त अध्ययन के सुझाव निम्नलिखित हैं –

- प्रस्तुत अध्ययन भविष्य के अध्ययनों के लिए उपयोगी सिद होगा।
- प्रस्तुत अध्ययन में केवल आगरा नगर के उत्तरदाताओं को ही शामिल किया गया।
- प्रस्तुत अध्ययन में केवल क़ानूनों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया।
- प्रस्तुत अध्ययन में मैला सफाई कर्मियों से जुड़ें और भी विषयों पर अध्ययन किया जा सकता है।

- प्रस्तुत अध्ययन में और भी क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- **AGRAWAL, Girish & GONSALVES, Colin**: Dalits and the law. (Human Rights Law Network, New Delhi, 2005)
- **AMBEDKAR, B R:** The Untouchables, Bhartia Buddha Shiksha Parisad Jetawa, Balrampur, UP, 1969.
- **RATAN, Ram:** The Changing Religion of the Bhangis of Delhi: A Case of Sanskritization, in Vidyarthi (ed.), Aspects of Religion in Indian Society, Ramnath Kedarnath, Meerut, 1960.
- **SABIR ALI:** Socio - Economic Status of Scavengers: A Study. (Har- Anand Publications, New Delhi).
- **THEKAEKARA, Mari Marcel**: Endless filth: The saga of the Bhangis. (Books for Change, Bangalore, 2003) **(NHRC)**
- **VENKATARAYAPPA, K N:** Slums: A Study in Urban Problems, Delhi, Sterling Publishers, 1972.
- **VERMA, Gita Dewan:** Slumming India: A Chronicle of Slums and their Saviours. (New Delhi: Penguin, 2002).
- **WAGNER, E G & LANOIX, J N** : Excreta disposal for rural areas and Small communities, World Health Organization, Geneva, 1958
- अली, सबिर, ***स्वेवेंजर्स की सामाजिक–आर्थिक स्थिति – एक अध्ययन,*** हर–आनंद प्रकाशन, 1 99 4।
- अम्बेडकर, बीआर, ***अछूत – वे कौन हैं और वे क्यों बनते हैं***
- ***न छूने योग्य?*** अमृत बुक कं, नई दिल्ली, 1 9 48।
- बक्षी डी सिन्हा, मेनन, पीएसके और अरुण के घोष, ***मानव की बहाली डिग्निटी*** , अर्नोल्ड प्रकाशन, नई दिल्ली, 1 99 4।
- भागीरथ पोद्दार, ***आधुनिक भारत में अस्पृश्य*** , सरप संस, नई दिल्ली, 2001, पीपी . 62-63।
- बिंदेश्वर पाठक, ***रोड टू फ्रीडम,*** मोतीलाल बनारसिदास प्रकाशक, नई दिल्ली, 1991।
- दास, ***जेआरजे , भंगी काश्त मुक्ति और भंगी मुक्ति,*** हरिजन सेवक संघ, दिल्ली, 1 9 68।

- फूक्स, स्टीफन, ***द इंडियन सोसाइटी के नीचे : हरिजन और अन्य लो जाति*** , मुंशीराम और मनोहरलाल प्रकाशक प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली, 1 9 81।
- घुरी, जीएस, ***जाति, कक्षा और व्यवसाय,*** लोकप्रिय पुस्तक डिपो, बॉम्बे, 1 9 61।
- गीता रामसामी, ***भारत बदबू आ रही है : आंध्र प्रदेश में मैनुअल स्वेवेंजर्स और उनका काम*** , नवयान प्रकाशन, चेन्नई, 2005।
- गुप्ता, एसपी, ***सांख्यिकीय तरीके,*** सुल्तान चंद और संस, नई दिल्ली, 1 9 81।
- हर्मन वल्र्ड और लार्सजुरन, इकोनॉमेट्रिक्स में ***डिमांड विश्लेषण और अध्ययन,*** जॉन विली एंड संस, इंक, न्यूयॉर्क, 1 9 53।